अनुदान संख्या 73 – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
GRANT No. 73 - MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*73,32,00*	*13,65,65*	*-59,66,35*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*58,17,64*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1532,96,00	1602,28,00	1518,11,17	-84,16,83
पूरक	Supplementary	69,32,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				55,30,64
पूंजीगतः	**Capital:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*3,65,00*	*1,65,00*	*-2,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*2,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	144,61,00	146,09,00	114,52,97	-31,56,03
पूरक	Supplementary	1,48,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				15,57,61

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2062"	Major Head "2062"				
सतर्कता	Vigilance				
मू.	*O.*	*7270.00*	*1495.00*	*1357.62*	*-137.38*
पु.	*R.*	*-5775.00*			

(I) "लोकपाल – स्थापना" के अंतर्गत *₹5912.38 लाख* की बचत (*₹7270.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय संस्थान की स्थापना होने और रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(I) Under "Lokpal-Establishment" - saving of *₹5912.38 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹ 7270.00 lakhs*) was due to setting-up of the institution towards the end of the financial year and non- filling up of vacant posts.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹8416.83 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹6932.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹8416.83 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹6932.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 5 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय–सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	17182.00	13860.45	13335.70	-524.75
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-3322.55			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय–प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	11992.00			
			10995.50	10882.99	-112.51
पु.	R.	-996.50			
मुख्य शीर्ष "2051"	Major Head "2051"				
लोक सेवा आयोग	Public Service Commission				
मू.	O.	24166. 00			
पू.	S.	2779.00	38062.14	38027.72	-34.42
पु.	R.	11117.14			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	71666.00			
पू.	S.	4150.00	73483.35	71913.05	-1570.30
पु.	R.	-2332.65			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Other Administrative Services				
मू.	O.	28290.00			
पू.	S.	2.00	18295.92	17651.71	-644.21
पु.	R.	-9996.08			

(I) ₹100.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2055" – "आपराधिक अन्वेषण और सर्तकता – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" – ₹71475.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹4150.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त

(I) Provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilised under one head.

(II) Under Major Head "2055" - "Criminal Investigation and Vigilance - Central Bureau of Investigation" - the original provision of ₹71475.00

करके बढ़ाकर ₹75625.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि, विशेष नकद पैकेज, किराया, सम्पत्ति कर और ई–गवर्नेंस परियोजना की एएमसी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण ₹3838.83 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

lakhs was augmented to ₹75625.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹4150.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹3838.83 lakhs - due to requirement of less funds towards special cash package, rent, property tax and AMC of e-governance project.

(III) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय" – ₹3719.61 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16936.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंहगाई भत्ते के स्थिरीकरण होने, अधिप्राप्ति प्रस्ताव को अंतिम रूप न दिए जाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने, कम दौरे किए जाने और कम दावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions" - saving of ₹3719.61 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16936.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to freezing of dearness allowances, non-finalization of procurement proposal, conduction of less training programmes, less tour undertaken and receipts of less claims.

(IV) मुख्य शीर्ष "2014" – "केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण – स्थापना" – ₹1109.01 लाख की बचत (₹11992.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, यात्रा रियायत दावों की प्राप्ति न होने और मामले की प्रत्यक्ष सुनवाई की स्थगित होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2014" - "Central Administrative Tribunals-Establishment" - saving of ₹1109.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11992.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-receipt of leave travel concession claims and suspension of physical hearing of cases.

(V) मुख्य शीर्ष "2070" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:–

(V) Under Major Head "2070" - savings occurred under the following heads: -

(का) "प्रशिक्षण" –

(A) "Training" -

(क) "अन्य प्रशिक्षण स्कीमें" – ₹6722.02 लाख की बचत (₹0.22 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹9406.22 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कम प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन किए जाने के कारण हुई।

(a) "Other Training Schemes" - saving of ₹6722.02 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹9406.22 lakhs including token supplementary grant of ₹0.22 lakh) was due to conduction of less training programmes owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान" – ₹1936.00 लाख की बचत (₹3503.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कम नामांकन की प्राप्ति होने, मंहगाई भत्ता के स्थिरीकरण होने और कम दौरे किए जाने के

(b) "Institute of Secretariat Training and Management" - saving of ₹1936.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3503.00 lakhs) was due to receipt of less nomination for training programmes,

कारण हुई।

freezing of dearness allowance and less tours undertaken.

(खा) "अन्य व्यय" – "प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की स्कीम" – ₹1895.21 लाख की बचत (₹3000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) 'सिविल सेवा दिवस' से संबंधित कम कार्यकलापों के होने और राज्य के सहयोग से पहल के अंतर्गत परियोजनाओं से संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure" - "Scheme of Department of Administrative Reforms & Public Grievances" - saving of ₹1895.21 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3000.00 lakhs) was due to less activities relating to 'Civil Services Day' and requirement of less funds towards projects under state collaboration initiatives.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹669.13 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और स्वीकृत प्रावधान का 10 प्रतिशत और 72 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads savings of ₹669.13 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs and constituting 10 percent and 72 percent of sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹1551.90 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2070" – "प्रशिक्षण" के अंतर्गत ₹2.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया थाः–

3(I) The above savings were partly (₹1551.90 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹2.00 lakhs under Major Head "2070" - "Training" - under the following heads:-

(का) "भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को अनुदान" – ₹999.00 लाख।

(A) "Grant to Indian Institute of Public Administration" - ₹999.00 lakhs.

(खा) "राष्ट्रीय सिविल सेवा एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम"– ₹552.90 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि ₹433.30 लाख था।

(B) "National Programme for Civil Services & Capacity Building" - ₹552.90 lakhs. Actual excess, however, was ₹433.30 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2051" – "कर्मचारी चयन आयोग – स्थापना" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹11094.55 लाख का अधिक व्यय (₹2779.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹26871.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के दौरान कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं का आयोजन से संबंधित अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2051" - "Staff Selection Commission-Establishment" - excess of ₹11094.55 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26871.00 lakhs including supplementary grants of ₹2779.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards conducting of computer based examinations during COVID-19 pandemic.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, *₹ 200.00 लाख* का *विनियोग* एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, *appropriation* of *₹200.00 lakhs* remained wholly unutilized under one head.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹3156.03 लाख) सितम्बर, 2020 और फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹148.00 लाख से अधिक हो गईं जो स्वीकृत प्रावधान का 22 प्रतिशत थीं।

5. In the voted portion of the capital section of the grant, the overall savings (₹3156.03 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹148.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 22 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4055"	Major Head "4055"				
पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Police				
मू.	O.	8491.00			
पू.	S.	146.00	7237.34	6439.61	-797.73
पु.	R.	-1399.66			
मुख्य शीर्ष "4059"	Major Head "4059"				
लोक कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	5970.00			
पू.	S.	2.00	5814.05	5013.36	-800.69
पु.	R.	-157.95			

(I) ₹1.00 लाख का पूरक प्रावधान एक शीर्ष के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Supplementary provision of ₹1.00 lakh remained wholly unutilised under one head.

(II) मुख्य शीर्ष "4055" – "अन्य व्यय – केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो" – ₹8491.00 लाख का मूल प्रावधान को ₹146.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹8637.00 लाख किया गया जो, तथापि, कोविड–19 महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा पहले तीन तिमाहियों में व्यय पर प्रतिबंध होने के कारण ₹2197.39 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(II) Under Major Head "4055" - "Other Expenditure - Central Bureau of Investigation" - the original provision of ₹8491.00 lakhs was augmented to ₹8637.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹146.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2197.39 lakhs(including supplementary grant) - due to restriction of expenditure in the first three quarters

by Ministry of Finance owing to COVID-19 pandemic.

(III) मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी" – ₹1952.17 लाख की बचत (₹4800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी की वजह से कार्य और निर्माण कार्यकलापों की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "4059" - "General - Construction - Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration" - saving of ₹1952.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4800.00 lakhs) was due to slow progress of work and construction activities owing to COVID-19 pandemic.

6. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹999.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "4059" – "सामान्य – निर्माण – आईएसटीएम" के अंर्तगत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

6. The above savings were partly (₹999.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "4059" - "General - Construction - ISTM".